उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-91/2020/1274/92-2-20-111जांच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 14 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दिनांक 10-07-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति/अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-128/2018/2221/92-2-18-111जांच/2018 दि0 23-08-2018 द्वारा हेतु श्री एस0के0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-अयोध्या (फैजाबाद) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता,परि0-अयोध्या के पत्र सं0-2152/ग्रा0अ0वि0/जांच-अधि0अभि0 /पत्रा0सं0-105/19-20 दि0 07-09-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित 01 मात्र आरोप आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्रसं0-2217/92-2-19-111जांच/16 दि0 26-09-19 द्वारा श्री एस0के0 सिंह से अभ्यावेदन मांगा गया। निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र सं0-जी-1468/दि0 10-02-2020 पर उपरोक्त संदर्भित शासन के पत्र दि0 26-09-2019 की तामीली रसीद उपलब्ध करायी गयी। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री सिंह द्वारा अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत नही किया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या व अभ्यावेदन का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सरायशेख महमूद के कार्य की तकनीकी जॉच प्राविधिक परीक्षक द्वारा दि0 03-04-2018 एवं 04-04-2018 को की गयी जिसमें निरीक्षित गलियों में 1:6:12 बेस कंक्रीट की स्ट्रेन्थ कम पाये जाने के कारण भुगतान की गयी मात्रा पर आंकलित क्षति रू0 19,755.04 है। श्यामलाल के घर से राजकिशोर के घर तक वाली गली में 1:2:4 पेवमेंट सी0सी0 की औसत मोटाई 0.65 से0मी0 कम पाये जाने के लिये क्षति रू0 15,394.11 है। धनई के घर से राम कृपाल के घर तक वाली गली में 1:2:4 पेवमेंट सी0सी0 की औसत मोटाई 01 से0मी0 कम पाये जाने के लिये क्षति रू0 6,423.77 है। वेद प्रकाश के घर तक तालाब वाली गली में 15 वर्गमी0 में सी0सी0 1:2:4 क्रैक्स होने के कारण क्षति रू0 10,588.63 है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार परिलक्षित कुल शासकीय क्षति रू0 52,161.55 में से अंतिम बिल द्वारा किये गये भुगतान के आधार पर रू0 3,143.00 की शासकीय क्षति के लिये श्री एस0के0 सिंह को उत्तरदायी पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

प्रकरण में टी0ए0सी0 जांच के समय रसायनिक जॉच हेतु एकत्रित नमूनो की के0एन0आई0टी, सुलतानपुर की परीक्षण रिपोर्ट में मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप पाया गया है फिर भी उनके द्वारा टी0ए0सी0 जांच में परिलक्षित शासकीय क्षति को राजकोष में जमा कर दिया गया है।

जांच अधिकारी की विवेचना/निष्कर्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 सिंह पर शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व के लिये आरोप आंशिक रूप से स्थापित होना पाया गया है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र सं0-जी-1468/दि0 10-02-2020 पर उपरोक्त संदर्भित शासन के पत्र दि0 26-09-2019 की तामीली रसीद उपलब्ध करायी गयी। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी श्री सिंह द्वारा अपना बचाव उत्तर प्रस्तुत नही किया गया।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति के राजकोष में जमा हो चुकी है, परन्तु अपचारी अधिकारी को कार्यो में कारित शासकीय क्षति के दृष्टिगत अपने अधीनस्थो पर शिथिल नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व का निर्वाहन न करने के लिये उत्तरदायी पाया गया है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23-08-2018 द्वारा श्री एस0के0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-गोरखपुर के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उन्हें निम्नवत परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

> "जनपद-अयोध्या में डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम योजनान्तर्गत ग्राम सरायशेख महमूद में कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओ की टी0ए0सी0 जॉच में परिलक्षित शासकीय क्षति के क्रम में अपने अधीनस्थों व कार्यो पर शिथिल नियंत्रण/पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व के लिये श्री एस0के0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-गोरखपुर को वर्ष 2020-21 के लिये "परिनिन्दा प्रविष्टि" प्रदान की जाती है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-91/2020/1274(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री एस0के0 सिंह, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, प्रखण्ड-गोरखपुर द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in